

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी :- विकारा पंचोली ( R.A.S.)

प्रकरण संख्या - 189/2019 वाद  
GCMS No. - 2019/00517


श्री भेरूलाल पिता शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी ऊंखलिया तह0 निम्बाहेड़ा  
जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

वनाम

1. श्री देवीलाल पिता शंकरलाल मुत्तबन्ना हेमराज जाति धाकड़ निवासी ऊंखलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. श्री उदयलाल पिता शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी ऊंखलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. श्री शंकरलाल पिता चतरभुज जाति धाकड़ निवासी ऊंखलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 मृतक के बजाय:-
  - (1.) श्रीमती लीलाबाई पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी  
- ऊंखलिया हाल पत्नि कंवरलाल निवासी टाई का खेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
  - (2.) श्रीमती कलाबाई पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी  
ऊंखलिया हाल पत्नि चम्पालाल निवासी ढोरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज.।
  - (3.) श्रीमती प्रेमबाई पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी  
ऊंखलिया हाल पत्नि हजारीलाल निवासी आटा तहसील जावद म0प्र0।
4. श्री राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की स्वयं की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 10.08.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेड़ा को कमिश्नर 2000/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया गया कि वादग्रस्त भूमि मौजा ऊंखलिया वादग्रस्त भूमि मौजा ऊंखलिया की आराजी नम्बर 600 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 601 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 606 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 602 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 604 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 605 रकबा 2.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 597 रकबा 1.9600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 599 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1164 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता-9 कुल रकबा 4.73 हैक्टेयर भूमि में से उत्तरी भाग प्रतिवादी नं0 1 देवीलाल



सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा

के नाम एवं मध्य भाग वादी भैरूलाल के नाम तथा दक्षिणी भाग प्रतिवादी नम्बर 2 उदयलाल के नाम मौका स्थिति अनुसार हक हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1415 रकबा 0.0400 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1414 रकबा 0.4400 हैक्टेयर में से रकबा 0.29 हैक्टेयर पूर्वी दिशा की भूमि एवं आराजी नम्बर 1414/1796 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नम्बर 2 उदयलाल के घोषित की जाती है। उक्त दोनों आराजियात के मध्य 1414 का शेष रकबा 0.1500 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1412 रकबा 0.5100 हैक्टेयर में से 0.1800 हैक्टेयर कुल किता-2 कुल रकबा 0.3300 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 देवीलाल के नाम घोषित की जाती है। आराजी नम्बर 1412 रकबा 0.5100 हैक्टेयर में से पश्चिमी भाग का शेष रकबा 0.3300 हैक्टेयर वादी भैरूलाल के नाम घोषित किया जाता है। इसी प्रकार मौजा टीलाखेड़ा पटवार हल्का अरनियाजोशी की आराजी नम्बर 54 रकबा 2.5900 हैक्टेयर भूमि में उत्तरी दिशा का रकबा 1.0200 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नं० 1 देवीलाल के नाम एवं मध्य भाग रकबा 0.7850 हैक्टेयर भूमि वादी भैरूलाल के नाम तथा दक्षिणी भाग रकबा 0.7850 हैक्टेयर प्रतिवादी नं० 2 उदयलाल के नाम घोषित किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजियात में से शंकरलाल की तीनों पुत्रियों लीलाबाई, कलाबाई, प्रेमबाई का नाम विलोपित किया जावे। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का उपर्युक्तानुसार घोषित हक हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की उपस्थित में बटवाड़ा किया जावे। पहुँच मार्ग सुनिश्चित करें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/955 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा उंखलिया पटवार हल्का उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा का बंटवारा फरिक्केन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
601	0.07	1.15
604	0.01	-
602	0.01	0.07
605	1.43	35.75
606	0.07	1.75
1412	0.18	5.49
1414	0.15	4.57

किता-7 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर 48.78

2.- श्री भैरूलाल पुत्र शंकरलाल धाकड सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
600	0.05	0.83
601	0.06	0.99
602	0.03	0.21
605	0.70	17.20
606	0.06	1.50



सहायक  
निम्बाहेड़ा

599	0.05	0.35
597	0.62	15.50
1164	0.01	-
1412	0.33	10.06
किता-9 कुल रकबा 1.91 हैक्टेयर		37.94

3.- श्री उदयलाल पुत्र शंकरलाल धाकड निवासी उंखलिया खातेदार रहन बदस्तुर आराजी नम्बर

597	1.34	33.50
599	0.06	0.42
600	0.10	1.65
606	0.06	1.50
1414	0.29	8.84
1415	0.04	-
1414/1796	0.01	-

किता-8 कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर 45.91

विवादित भूमि मौजा टीलाखेडा पटवार हल्का अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

1.- श्री देवीलाल पुत्र शंकरलाल धाकड निवासी उंखलिया खातेदार आराजी नम्बर

54 उत्तर	1.02	12.24
----------	------	-------

किता-8 कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर 12.24

2.- श्री उदयलाल पुत्र शंकरलाल धाकड निवासी उंखलिया खातेदार आराजी नम्बर

54 दक्षिण	0.79	9.48
-----------	------	------

किता-1 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर 9.48


3.- श्री भेरूलाल पुत्र शंकरलाल धाकड निवासी उंखलिया खातेदार आराजी नम्बर

54 मध्य	0.78	9.36
---------	------	------

किता-1 कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर 9.36

आज दिनांक 08.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



  
(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेडा